"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2014— माघ 10, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-11-223/दो-गृह/2012.— छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 30 जनवरी, 2014 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ-11-223/दो-गृह/2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 30th January 2014

NOTIFICATION

No. F-11-223/Home-Two/2012. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Regulation, Prohibition, Sale and Use of Acid Act, 2013 (No. 24 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 30th January, 2014 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR , Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.